फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर — चिरंजीलाल वगै० बनाम रा. से. बुध वगै०

संख्या 01/2022

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील अपीलार्थी की बहस को सुना गया। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली तामील अनुसार होकर नकल ले कर के तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जम मगढ़	

Y2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
01/2022	11/03/2022	03/02/2025

– उनवान –

श्री चिरंजीलाल पुत्र रामकिशोर
श्रवणलाल पुत्र रामकिशोर
समस्त आयु वयस्क समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण समस्त निवासीयान ग्राम जगमालपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

अपीलार्थीगण

बनाम

ग्राम पंचायत बूज जरिए सरपंच ग्राम पंचायत बूज, पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर, राजस्थान।
जगदीश पुत्र रामकरण
विनोद कुमार पुत्र रामकरण
समस्त आयु वयस्क समस्त जाति ब्राहमण समस्त निवासी ग्राम जगमालपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
मीरा पुत्री रामकरण पत्नि गजानन्द जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर।
चन्दा पुत्री रामकरण पत्नि रामफूल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम महल तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
सुनिता पुत्री रामकरण पत्नि जगदीश जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम दुधली तहसील बस्सी जिला जयपुर।
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेन्टस

<u>त अभिभाषक</u>

शंकर शर्मा :– वकील अपीलार्थीगण।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू0राजस्व अधि0</u>

<u>विरूद्व निर्णय नामांतरण सं0 133 दिनांक 23.07.2021</u>

–: निर्णय :–

अपीलार्थीगण ने यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टस इस कथन के साथ पेश कि र्थीगण ग्राम जगमालपुरा के रहने वाले है तथा अपीलार्थीगण ने उक्त खसरा नम्बर 300, 301, ा में रामकरण पुत्र रामपाल व दाखा पत्नि रामपाल के हिस्से सम्पूर्ण को जरिये पंजीकृत त्र कय कर लिया था। उक्त विकय पत्र का नामान्तकरण सं0 226 दिनांक 04.01.2012 को य आदेश दिनांक 28.12.2011 द्वारा अपीलार्थीगण के तस्दीक किया गया था जिसका अंकन स्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया था। उक्त नामान्तकरण का अंकन संवत् 2070–2073 ाबन्दी में भी किया गया है। खातेदार रामकरण का स्वर्गवास होने पर उसकी अन्य खातेदारी खसरा नम्बर 38, 50, 48, 49, 51 के साथ अवैध रूप से खसरा नम्बर 300, 301 के का नामान्तकरण भी रेस्पोडेन्ट सं02 ता 6 के हक में दिनांक 23.07.2021 को ग्राम पंचायत रा तस्दीक कर दिया गया है। अपीलार्थीगण खसरा नम्बर 300 रकबा 0.0100है0, खसरा 01 रकबा2.2500है0 को जरिये विकय पत्र कय करने पर कय दिनांक से उक्त वादग्रस्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

काबिज काश्त है। अपीलार्थीगण के हक में किये गये विकय पत्र एवं विकय पत्र का नामान्तकरण ज भी निरस्त नही हुए है। फिर भी राजस्व कर्मचारियों से साज कर रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 6 अपने पिता रामकरण के विरासत का नामान्तकरण अवैध रूप से अपने नाम तस्दीक करवा लिया जो पूर्णतः गैर कानूनी एवं अवैध रूप से स्वीकृत किया गया जो अपास्त किये जाने योग्य है। ोडेन्ट सं0 1 ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान 300, 301 का ासत का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जो पूर्णत विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने य है। अतः अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार मायी जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 133 आदेश दिनांक 23.07.2021 को स्वीकार किया ा है उसे निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 300, 301 ग्राम जगमालपुरा का पूर्व में करण पुत्र रामपाल द्वारा किये गये विकयपत्र अनुसार बहिस्सा बराबर–बराबर नामान्तकरण ीलार्थीगण के नाम स्वीकार किया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए। रेस्पोडेन्टस सं0 2 लगायत 6 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः रेस्पोडेन्टस सं0 2 लगायत 6 के विरूद्व एक फा कार्यवाही अमल मे लाई गई। रेस्पोडेन्ट सं0 7 ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24/4918 नांक 20.09.24 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम जगमालपुरा के खसरा नम्बर 300, 1 वर्तमान में जगदीश, विनोद , सुनिता, मीरा, चन्दा पुत्री रामकरण ब्राहमण सा0देह के नाम कार्ड दर्ज है। खसरा नम्बर 300, 301 में न्यायालय आदेश से नामा0 सं0 226 दिनांक 4.1.12 में मकरण पुत्र रामपाल, दाखा बेवा रामपाल के बजाय चिरंजीलाल, श्रवणलाल पि0 रामकिशोर जाति रे0ब्रा0 के नाम स्वीकार का नोट जमाबन्दी संवत् 2070–73 में अंकित है तथा तहसीलदार के देश कमाक/एलआर/12/96 दिनांक 6.1.12 द्वारा न्यायालय एडीजे जयपुर के निर्णय दिनांक 5. 2 के द्वारा नामा0 सं0 226 में पारित अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार जमवारामगढ दिनांक 28.12. की कियान्विति अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाकर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखी जाने नोट अंकित है। खसरा नम्बर 300, 301 के नामा0 सं0 133 विरासत से दिनाक 28.07.2021 को मकरण पुत्र रामपाल के बजाय जगदीश, विनोद कुमार, सुनिता, मीरा, चन्दा पि0 रामकरण ब्राहमण 0देह के नाम नामान्तकरण स्वीकार है। वादिया के पक्ष में न्यायालय आदेश का नामा0 सं0 226 कार्यवाही स्थगित होने से जमाबन्दी में वादियों का नाम अमल दरामद नही किया गया तथा मकरण पुत्र रामपाल व दाखा बेवा रामपाल की विरासत से जगदीश, विनोद कुमार, सुनीता, मीरा, दा पि0 रामकरण ब्राहमण का नामा0 खोला गया है। ग्राम जगमालपुरा की जमाबन्दी संवत 74–77, जमाबन्दी संवत 2076 से स्थायी की खाता सं0 116 का खसरा नम्बर 300, 301 मे ननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ उनवान चिरंजीलाल व अन्य बनाम ारसीलाल वगै0 एकलपीठ द्वितीय अपील सं0 422/2019 में आदेश दिनांक 12.12.2019 की लना पारित आपेक्षित डिकी दिनांक 17.07.19 के निष्पादन की कार्यवाही स्थगित किये जाने का ट अंकित है। वकील अपीलार्थीगण की बहस सुनी गई।

हमने वकील अपीलार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन या। जिससे स्पष्ट है कि उक्त अपील में अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्टस के मध्य किसी प्रकार के क, अधिकार व सामित्व के संबंध में कोई विवाद नही है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर म पंचायत बूज द्वारा नामा0 सं0 133 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2021 निरस्त किया जाता है था तहसीलदार जमवारामगढ को अपीलाण्ट द्वारा निष्पादित व पंजिबद्व विकय पत्र को ध्यान में खते हुए एवं उभय पक्षों को सुनकर नामान्तकरण की कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ